न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बंशीधर योगी (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 79/2020

सरकार बनाम पुरूषोतम पुत्र सीताराम, जाति–ब्राह्मण, निवासी–जाखोद

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 02.11.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र अरविन्द शर्मा उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल पुरूषोतम पुत्र सीताराम, जाति–ब्राह्मण, निवासी–जाखोद द्वारा रोही मौजा बिशनपुरा (जाखोद) की भूमि ख.नं. 05 के कुल रकबा 63.17 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है० भूमि पर तार बाड़ लगाकर अतिकमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब नोटिस पेश किया कि वह उक्त भूमि में कई वर्षो से आबाद है। अन्य कोई साक्ष्य/ सबूत पेश नही किया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.....28.......पर
वर्ष.2020-21..में रुपये...6/—. कायम कि
राजस्व लेखाकार